न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Bsw-D 42/2015 श्री कन्हैयालाल बनाम श्री नाथू

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी आनन्दपुरी दिनांक 03–07–2015 प्रकरण स्रंख्या 114/2009 वाद —————————	
06–02–2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण समायत शुदा बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर अपील उजरात पर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में दिनांक 17–4–2013 से बहस सुनने के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का आदेश दिया तथा प्रकरण में दिनांक 3–7–2015 को प्रकरण को लोक अदालत में रखा तथा मौका रिपोर्ट ली जाकर, सिर्फ पैरोकार की बहस सुनकर प्रकरण में दिनांक 3–7–2015 को वादी का वाद खारिज कर दिया। स्पष्टतया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट न तो उभयपक्ष की उपस्थिति में बनाई गई है, न ही उक्त रिपोर्ट हेतु वादी अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया है। प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अपीलान्ट वादी को उसकी अनुपस्थिति में उसकी बहस सुने बिना तैयारशुदा एक–तरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण का तनकीवार निर्णय पारित करना प्राकृतिक न्याय एवं स्थापित विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल पारित किया गया निर्णय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03–07–2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्द्रेशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विधिक निर्णय पारित करें।पक्षकारान आधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 09–04–2018 को उपस्थित होवें। पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06–02–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) **भू–प्रबन्ध अधिकारी** **एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी** **उदयपुर**	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Bsw-D 42/2015 श्री कन्हैयालाल बनाम श्री नाथू

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम ....
उदयपुर व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गणेश लाल नागदा पिता श्री कालूलाल नादा निवासी पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल के पास शोभागपुा स्कूल के सामने तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा उदयपुर (राज0) अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत .... सहायक कलक्टर मु0...... .... उदयपुर .... मुकाम मुर्क्खे..........27............. माह ....02.......... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 15..... माह ......06.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री संजय बोहरा .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्ट दूषित (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–2–1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........15..... माह ...06........ 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील .... 2. स्टाम्प वकालत नामा....... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Bsw-D 42/2015 श्री कन्हैयालाल बनाम श्री नाथू

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम ....
उदयपुर व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गांगा पिता देवा डांगी
निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य –2

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल
निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य–6

अपील मूत नं0 3/2015 बनाराजगी डिगरी अदालत ....भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ......उदयपुर .... मुकाम मुर्ख्खे...........08..............
माह ....07........... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 25..... माह ......05.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री मन्नाराम डांगी .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि .... प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा–152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण संख्या 46/2004 निर्णय दिनांक 8–7–2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0.800 हैक्टर लिपिकीय/टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........14..... माह ...06....... 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील .... 6. स्टाम्प वकालत नामा....... 7. इजराय हुक्मनामा .... 8. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।